भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3108
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

कर विवाद

3108. श्री कौशल किशोर:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री अर्जुन लाल मीणा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर संबंधी कितने विवाद लंबित है;
(ख) आज की तिथि तक 'विवाद से विश्वास योजना' के अंतर्गत कितनी कंपनियों ने विवाद हेतु आवेदन किया है;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत विवादित राशि का ब्यौरा क्या है जिसका समाधान हो गया;
(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत विवाद के समाधान हेतु किसी आवेदन को अस्वीकृत किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो उक्त अस्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): विभिन्न अपीलीय मंचों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के लंबित विवाद/अपीलें निम्नानुसार हैं:-

प्रत्यक्ष कर (31.03.2020 को)

मंच	**लंबित अपीलें**
एससी	5,363
एचसी	31,548
आईटीएटी	88,016
सीआईटी (अपील)	4,57,808
कुल	5,82,735

अप्रत्यक्ष कर (31.03.2021 को)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क	
एससी	1072
एचसी	5326
सीईएसटीएटी	20689
आयुक्त (अपील)	4278
कुल	31365

सीमा शुल्क	
एससी	918
एचसी	5626
सीईएसटीएटी	14677
आयुक्त (अपील)	13849
कुल	35070

सेवा कर	
एससी	927
एचसी	4243
सीईएसटीएटी	23891
आयुक्त (अपील)	6766
कुल	35827

जीएसटी (01.03.2021 को)	
एससी	226
एचसी	2237
आयुक्त (अपील)	2229
कुल	4692

(ख): 'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत 10 मार्च, 2021 तक डीटीवीएसवी फार्म-1 में कुल – 1,55,965 घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं।

(ग): 10 मार्च, 2021 तक कार्रवाई योग्य 1,29,119 फार्म-1 के अनुसार कुल विवादित कर 98,354 करोड रु. था इसके अलावा, करदाताओं द्वारा स्कीम के तहत विवादित कर के लिए 10 मार्च, 2021 तक 53,320 करोड़ रु. का भुगतान किया गया।

(घ) तथा (ङ): स्कीम के तहत विवाद के समाधान हेतु दायर किए गए कुछ आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। 10 मार्च, 2021 को कुल 26,846 डीटीवीएसवी फार्म-1 पर कार्य नहीं किया गया है। इनके विवरण निम्नानुसार है:-

i. करदाताओं द्वारा संशोधित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण 20,288 आवेदनों को निष्क्रिय चिन्हित किया गया है;
ii. 6,551 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं, जैसे अंतिम तारीख के बाद अपील दायर करना, निर्धारिती द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, 31.01.2020 को किसी भी अपील का लंबित ना होना आदि।
iii. पैन और आकलन वर्ष में द्वैधता होने के कारण 7 आवेदन अवैध पाए गए हैं।

*****